(नियम 64 देखे)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिये,जब स्थान संविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन परिणाम की घोषणा

राजस्थान राज्य (राज्य / संघ राज्य क्षेत्र) के दांतारामगढ (36) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से विधान सभा के

निर्वाचन का संचालन नियम,1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में घोषणा करता हूँ कि —

श्री वीरेंदर सिंह

जो इंडियन नेशनल काँग्रेस (मान्यता प्राप्त /रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए। उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र से उस सदन में स्थान के लिये सम्यक रूप से निर्वाचित हो गए है।

स्थानः सीकर

दिनांक : 11.12.2018

(मनोज कुमार मीणा)

रिटर्निंग आफिसर

(उपखण्ड अधिकारी एव उपखण्ड मजिस्ट्रेट,दांतारामगढ) 36-दांतारामगढ़ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र

FORM-21 C (SEE RULE- 64)

(For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the people Act, 1951

ELECTION TO THE LEGISLATIVE ASSEMBLY OF RAJASTHAN (STATE) FROM DANTARAMGARH (36) ASSEMBLY CONSTITUENCY

In pursuance of the Provision Contained in section 66 of the Representation of the people Act. 1951 read with rule 64 of conduct of Election Rules, 1951 declare that:-

Shri: VIRENDRA SINGH

Village: BULDAKON KI DHAANI

TULSIRAMPURA TEH- DANTARAMGARH

DISTT-SIKAR

Sponsored by Indian National Congress (Name of the recognized political party) Has been duly elected to fill the seat in the House from the above Constituency.

Place: SIKAR

Date: 11-12-2018

(Manoj Kumar Meena)

RETURNING OFFICER

(36)DantaramgarhAssembly constituency (Sub Divisional Magistrate) Dantaramgarh